9929429380

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मु0 संख्या :– 47 / 2020

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	**बनाम**	1. श्री मदनसिंह राजपूरोहित पुत्र पूनमसिंह राजपुरोहित उम्र 48 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम सीया का वास, खीचन तहसील फलोदी जिला जोधपुर। 2. मेसर्स कमल कैटर्स मदरसा रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री मदनसिंह राजपुरोहित की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार परिहार।

:: **आदेश** :: दिनांकः 29.10.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2018 को 02:00 पीएम पर मेसर्स कमल कैटर्स मदरसा रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मेसर्स कमल कैटर्स मदरसा रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विकेता श्री मदनसिंह राजपूरोहित पुत्र पूनमसिंह राजपुरोहित कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विकेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में खोया फीका मावा खाद्य पदार्थ के रूप में विकय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात खोया फीका मावा लगभग 01 किलो नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 240 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा खोया फीका मावा के चार नमूने लिये प्रत्येक को चौडे मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर बराबर मात्रा में डालकर प्रत्येक नमूने में फॉरमुलिन की 20–20 बुंदे परीक्षण बतौर डालकर डिब्बा बंद किया। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओं कोड एवं कमांक नम्बर एन–913 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–913 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–913 खोया फीका मावा लिख कर हस्ताक्षर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को श्री ठाकुर राम, सहायक कर्मचारी के द्वारा दिनांक 02.11.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 01.11.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/4501–03 दिनांक 28.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./885/Act/2018/904 दिनांक 21.12.2018 अनुसार उक्त नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन–913/3948–50 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री मदनसिंह राजपूरोहित पुत्र पूनमसिंह राजपुरोहित उम्र 48 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम सीया का वास, खीचन तहसील फलोदी जिला जोधपुर 2. मेसर्स कमल कैटर्स मदरसा रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर ने सबस्टैण्डर्ड खोया फीका मावा का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार परिहार परिवाद के संबंध में जबाब में कथन किया गया है कि परिवाद के अनुच्छेद संख्या 01 विधिक होने से प्रार्थी अथवा विभाग स्वयं साबित करे। अनुच्छेद संख्या 02 व 03 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना बताया है। अनुच्छेद संख्या 04 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना बताया है। अप्रार्थी की दुकान मदरसा रोड पर मुश्लिम मदरसे के सामने आयी हुई है। वहां किसी मदरसे में आए व्यक्ति का सामान पडा था, उसमे उक्त पदार्थ हो सकता है। अप्रार्थी का उसमें कोई लेना देना नही होना बताया गया है। अनुच्छेद संख्या 05 में वर्णित तथ्य अस्वीकार होना बताया है। अनुच्छेद संख्या 05,06,07,08 व 09 में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करे। अप्रार्थी गरीब व निर्धन परिवार से है, दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता हैं अतः अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण कर अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./885/Act/2018/904 दिनांक 21.12.2018 के अनुसार खोया फीका मावा का उक्त नमूना अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया हैं। वही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थी अपने जवाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) स्तर के खोया फीका मावा का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री मदनसिंह राजपुरोहित जो मैसर्स कमल कैटर्स मदरसा रोड, जैसलमेर जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु खोया फीका मावा विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner